

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 14, मंगलवार, शके 1947- अगस्त 05, 2025 <i>Sravana 14, Tuesday, Saka 1947- August 05, 2025</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 01, 2025

एस.ओ.19 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.5(18)वित्त/कर/2022 पार्ट-112 दिनांक 10.07.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 10, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है किभारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 8छ में उल्लिखित संव्यवहारों के संबंध में निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

[सं. एफ.5(18)वित्त/कर/2022 पार्ट-112]

राज्यपाल के आदेश से,
नथमल डिडेल,
संयुक्त शासन सचिव"।